

महत्वपूर्ण  
बजट आवंटन  
(2010-11)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-4 (1) लेखा/बी.एन.पी./10/317

दिनांक : 28/4/10

समस्त कार्यालयाध्यक्ष  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

विषय :- वर्ष 2010-11 के लिए आयोजना भिन्न एवं आयोजना मद में बजट आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये आयोजना भिन्न एवं आयोजना मद अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों को संलग्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है :-

इस सम्बन्ध में आदेशित किया जाता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत विहित प्रक्रियाओं एवं प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार आवंटित बजट का उपयोग करें एवं निम्नलिखित निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें :-

- (1) जिन मामलों में नियमानुसार अलग से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों की आवश्यकता हो, ऐसी स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त होने के पश्चात् ही व्यय किया जावें।
- (2) वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए प्रत्येक जिले की 50 बैड्स से कम शैयाओं वाले चिकित्सालयों को विभिन्न लेखा शीर्षकों में बजट का आवंटन सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को किया गया है। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीनस्थ, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लाक प्रा. स्वा. केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ शिशु सेवायें, डिस्पेनसरी एवं एडपोस्ट के लिए आवंटित बजट को निर्धारित मापदण्ड/स्वीकृत पदों, स्वीकृत शैयाओं एवं संस्थाओं की संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए यथा सम्भव अनुपातिक रूप से पत्र प्राप्ति के 7 दिवस में अनिवार्य रूप से आवंटित कर आवंटन की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें। इन संस्थाओं के लिये आवंटित राशि में से जिला स्तर पर कोई राशि रक्षित नहीं रखी जावें। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का बजट सीधे ही पूर्व की भांति इन संस्थाओं को आवंटित किया जावे। राष्ट्रीय कार्यक्रमों का बजट सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों को आवंटित किया जावे।
- (3) गत वर्षों का यह अनुभव रहा है कि किन्ही मदों में वर्ष भर के लिये स्वीकृत प्रावधान को कुछ महीनों में ही खर्च कर दिया जाता है तथा कुछ मदों में आनुपातिक रूप से व्यय न कर वर्ष के अन्तिम दिनों में एक साथ खर्च करने का प्रयत्न किया जाता है। यह प्रवृत्ति उचित नहीं है यथासम्भव व्यय की गति को वर्ष के दौरान औसतन समान रखे जाने का प्रयत्न किया जाये। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आवंटित बजट के व्यय होने के पश्चात् ही अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग निर्धारित प्रारूप में की जावे।
- (4) स्वीकृत प्रावधान से अधिक का व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जावे। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आवंटित राशि से अधिक के दायित्वों का सृजन किसी भी हालत में नहीं किया जावे। यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से बजट आवंटन की आशा में ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो निदेशालय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जावे।

10

1/4

- इस संबंध में वित्तीय नियमों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होंगे।
- (5) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता परिपत्रों की भी सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।
  - (6) योजना कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर समय पर वित्तीय/भौतिक लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
  - (7) वित्त विभाग एवं विभागीय परिपत्र के निर्देशों की अनुपालना में विभाग द्वारा किये जाने वाले व्यय पर नियंत्रण रखने एवं नियमित रूप से अंक मिलान कार्य करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही अन्य परिहार्य खर्चों की रोक/अतिरेक की स्थिति को टाला जा सके। अंक मिलान के संबंध में बजट मैनुअल एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में प्रावधान है। इस कार्य के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिले के नोडल अधिकारी हैं। अतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिले की समस्त विभागीय संस्थाओं/कार्यालयों से व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र (जी.ए.-19) में (दो प्रतियों में) प्राप्त करेंगे तथा उन्हें लेखा शीर्षक वाईज सकलित कर जिले के कोष कार्यालय के लेखों से मिलान कर टी.वी. नम्बर सहित प्रति निदेशालय को प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। व्यय विवरण पत्र निर्धारित तिथि पर प्रेषित न करने पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/क. लेखाकार स्वयं निजी रूप से उत्तरदायी होंगे, तथा विलम्ब के लिए सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। व्यय विवरण के अभाव में आपके द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त बजट आवंटन के प्रस्तावों पर भी विचार नहीं किया जा सकेगा।
  - (8) समस्त संस्थाओं/कार्यालयों की राजस्व मद (0210- राजस्व प्राप्तियाँ) में प्राप्त आय का अंक मिलान कोष कार्यालय से कर प्रत्येक माह प्राप्त आय का विवरण 10 तारीख तक निदेशालय को प्रेषित करेंगे।
  - (9) कार्यालय व्यय में आवंटित राशि में से टेलीफोन एवं पोस्टेज के संभावित व्यय के बिलों की राशि सुरक्षित रखते हुए व्यय किया जावेगा। कार्यालय व्यय से ही स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग के लिये व्यय किया जावे।
  - (10) यात्रा व्यय में आवंटित राशि में से वरियता क्रम के आधार पर (यथा संभव उनकी प्राप्ति की दिनांक की वरियता के अनुसार) सर्वप्रथम गत वर्षों की बकाया राशियों का निपटारा करने के उपरान्त ही नये बिलों का भुगतान किया जावे। भुगतान पहले प्राप्त पहले निस्तारण के आधार पर किया जावे।
  - (11) चिकित्सा व्यय मद में आवंटित राशि में से राज्य सरकार से चिकित्सा मद में जारी स्वीकृति, गंभीर रोगों से पीड़ित कर्मिकों एवं मृतक/सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के बकाया बिलों के भुगतान करने के पश्चात ही शेष उपलब्ध बजट में से अन्य कर्मिकों के बकाया चिकित्सा बिलों का भुगतान किया जावे। "चिकित्सा व्यय" मद में व्यय कम करने के लिए प्रयास किया जावे तथा ऐसे कर्मचारी जिनके मेडिकल बिल एक वित्तीय वर्ष में उनके एक माह के मूल वेतन से अधिक हो तो मेडिकल बोर्ड से भी जाँच करवायी जावे। कई कर्मचारी 7-8 वर्ष पुराने बकाया दावों के भुगतान हेतु निदेशालय में संपर्क करते हैं। जबकि उन मदों में बजट का आवंटन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। पुराने एवं बड़े बिलों का निपटारा एक साथ न हो तो आनुपातिक रूप से दावों का निस्तारण करें।


4

2/4

- (12) विद्युत एवं जल के बिलों के भुगतान हेतु कनेक्शन वार्डज व्यय का लेखा रखा जावे। प्रत्येक बिल का भुगतान पूर्व में किये गये भुगतान की युनिट एवं वर्तमान में दर्शायी गयी युनिट से मिलान करने के पश्चात ही किया जावे ताकि दोहरी एवं अधिक भुगतान की संभावना न रहे। विद्युत एवं जल के कनेक्शनों का रिव्यू कर लिया जावे। आवश्यकता से ज्यादा विद्युत भार होने अथवा ज्यादा कनेक्शन होने पर उन्हें आवश्यकता के अनुरूप विद्युत वितरण निगम एवं जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग से पत्राचार करके विद्युत भार/कनेक्शनों को कम करवाया जावे।
- (13) सफाई ठेका एवं भवन किराये आदि का प्रतिमाह भुगतान किया जावे। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ठेकेदार/भवन मालिक से बिल यथा समय प्राप्त करना सुनिश्चित करे। वर्ष के दौरान सफाई/भवन किराये का नया अनुबन्ध किया जाता है या दरों में वृद्धि होती है तो उसकी सूचना निदेशालय को अवश्य दी जाये ताकि तदनुसार राशि आवंटन की व्यवस्था की जा सके नियमित भुगतान के अभाव में यदि कोई प्रकरण बनता है तो उसके लिये जिम्मेदारी तय की जावेगी।
- (14) बिलों पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित कम्प्यूटराईज व्यय शीर्षक के अनुसार सही मोहर, सुपाठय व स्पष्ट लगावें। बिलों पर मान प्लान/प्लान/सी.एस.एस. भी स्पष्ट रूप से अंकित करे।
- (15) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीनस्थ समस्त संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त आवंटन की मांग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत की जावे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ऐसी मांगों को पूर्ण औचित्य (आवंटित बजट एवं किये गये व्यय के परिपेक्ष्य में)के साथ निर्धारित प्रारूप में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए भिजवाया जावे कि पूर्व में आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है अब कोई शेष नहीं है। व्यक्तिगत दावों के लिये अलग से कर्मचारी के नाम से बजट आवंटन हेतु मांग पत्र अग्रेसित नहीं किये जावें।
- (16) वित्त विभाग (जी.एण्ड टी. अनुभाग) के पत्रांक प-1(22)/वित्त/जीएण्डटी /2002/ दिनांक 26.03.02 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के बकाया उपार्जित अवकाशों का नकदीकरण भुगतान बजट शीर्षक 2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ 01-सिविल, 115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ से वहन किया जावे। इस सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या ए-4 ( ) लेखा/बीएनपी/2002/88 दिनांक 10.5.2002 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उक्त लेखा शीर्ष में किये गये व्यय का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
- (17) जो कार्यालय/चिकित्सालय किराये के भवन में चल रहे हैं, उनकी पूर्ण सूचना (स्वीकृति फ्री फोटो प्रति सहित मासिक किराया अंकित कर) तत्काल भिजवाये ताकि इस आवंटन में यदि कोई कमी रही हो तो समुचित बजट प्रावधान की व्यवस्था की जा सके।
- (18) राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ का सुव्यवस्थिकरण अधिनियम 1999 की पालना में यह सुनिश्चित करें कि दैनिक मजदूरी पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति प्रतिषिद्ध (Prohibited) होगी। इसके साथ ही नवीन पदों के सृजन हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्यवाही नहीं की जावे। वेतन भत्तों, परिलब्धियों, मानदेय प्रतिकारात्मक भत्तों आदि का पुनरीक्षण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं किया जावे। इनके लिए सक्षम अधिकारी वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर 1999 के द्वारा घोषित किये गये है।

- (19) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-ए.8(22)वित्त-(1)आ.व्यय-2000 पार्ट-II दिनांक 21.3.2007 के अनुसार 1 जनवरी, 2004 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा जमा हिस्सा राशि का व्यय संबंधित बजट शीर्ष के विस्तृत नवीन शीर्ष 89 - अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान से आहरित कर पूर्व की भांति बजट शीर्ष 8011-106-03-01 में समायोजित कराया जावे।
- (20) विस्तृत बजट मद 89-अंशदायी पेंशन फण्ड में राशि उन्ही कार्यालयों को आवंटित की गई है जिन्हें द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों में राशि प्रस्तावित की गई थी। यदि आपके द्वारा इस विस्तृत बजट मद में राशि की आवश्यकता हो तो अपने प्रस्ताव प्रेषित करें ताकि वांछित राशि आवंटित की जा सके।
- (21) आयोजना मद में किये गये आवंटन में दर्शाये गये पदों के लिये ही राशि आहरित की जावे। दर्शाये गये पदों के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये किसी प्रकार की राशि आहरित/व्यय नहीं की जावे।
- (22) राज्य सरकार द्वारा नवीन मदों के अन्तर्गत जारी स्वीकृतियों अनुसार संविदा कार्मिकों हेतु विस्तृत मद 41- संविदा व्यय अन्तर्गत बजटशीर्षवार/ स्वीकृतिवार/कार्मिकवार राशि का विवरण प्रस्तुत करते हुये अतिरिक्त राशि की मांग की जावे।


संलग्न - उपरोक्तानुसार।

  
 वित्तीय सलाहकार  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
 राजस्थान जयपुर।  
 दिनांक :

क्रमांक : ए-4 (1) लेखा/बी.एन.पी./10/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा./एड्स/आई.ई.सी./परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, (जोन)।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ..... को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उनके कार्यालय में स्वीकृत पदों के एवं गतिविधियों के अनुसार आवंटन करावें तथा व्यय की सूचना प्रत्येक माह संकलित कर भिजवावें।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी क्षय निवारण केन्द्र/राजकीय चिकित्सालय एवं संबंधित कार्यालय।
9. समस्त सहायक औषधी नियंत्रक।
10. जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/ प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।
11. प्रभारी सर्वर, कृपया इस आवंटन विवरण को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।

  
 वित्तीय सलाहकार  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
 राजस्थान जयपुर।

Budget Allotment for the year 2010-11

317/28-4-10

2210-Medical & Public Health  
01-Urban Health Services- Allopathy  
001-Direction and Administration  
(01)-Headquarter Establishment (Non Plan)

S. N.	Name of Office	01 Salary	03 T.A	04 MR	05 OE	07 MMV	08 Prof. Services	11 Adv.	19 L.W.	29 Meeting	37 Liv.	41 Cent. Service	89 CPF	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Jt. Director, Medical &amp; Health</b>														
1	Ajmer	43.00	0.30	0.20	1.00	0.22	0.00	0.20	0.50	0.00	0.01	0.00	0.00	45.43
2	Bharatpur	18.00	0.20	0.07	0.75	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52
3	Bikaner	48.00	0.30	0.20	1.00	0.22	0.00	0.20	0.30	0.00	0.03	0.00	0.00	50.25
4	Jaipur	43.00	0.30	0.20	1.25	0.22	0.00	0.20	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	45.18
5	Jodhpur	73.00	0.30	0.25	0.70	0.22	0.00	0.20	0.30	0.00	0.03	0.00	0.00	75.00
6	Kota	52.00	0.30	0.25	1.00	0.22	0.00		0.30	0.00	0.03	0.00	0.00	54.10
7	Udaipur	42.00	0.30	0.20	1.00	0.22	0.00	0.20	0.30	0.00	0.04	0.00	0.00	44.26
8	DDO, Ilq Jaipur	823.00	2.00	3.90	6.30	1.76	2.00	20.00	5.00	0.07	0.28	5.60	0.50	870.41
<b>TOTAL</b>		<b>1142.00</b>	<b>4.00</b>	<b>5.27</b>	<b>13.00</b>	<b>3.08</b>	<b>2.00</b>	<b>21.20</b>	<b>7.00</b>	<b>0.07</b>	<b>0.43</b>	<b>5.60</b>	<b>0.50</b>	<b>1204.15</b>

Financial Advisor  
Medical Health Services  
सहायक वित्त अधिकारी  
आरोग्य सेवाएँ


Budget Allotment for the year 2010-11

317/28-4-10

2210 Medical & Public Health  
01-Urban Health Services- Allopathy  
001-Direction and Administration  
(02)-Divisional & District Estt. (New Plan)

(Rs. in Lacs)

S. N.	Name of Office	01 Salary	03 T.A.	04 M.R.	05 O.E.	07 M.M. V.	09 RRTR	11 Adv. & Pub.	19 L.W.	37 Liv.	89 CPF	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Chief Medical &amp; Health Officer</b>												
1	Ajmer	49.00	0.17	0.10	0.25	0.12		0.02	0.61	0.01		50.28
2	Alwar	36.00	0.12	0.10	0.25	0.12		0.02	0.22		0.10	36.93
3	Banswara	42.00	0.11	0.10	0.25	0.12		0.02	0.22	0.01		42.83
4	Baran	35.00	0.13	0.10	0.25	0.12		0.02	0.16	0.02		35.80
5	Barmer	36.00	0.12	0.10	0.25	0.12		0.02	0.17	0.01		36.79
6	Bharatpur	36.00	0.10	0.10	0.25	0.12		0.02	0.06			36.65
7	Bhilwara	44.00	0.12	0.10	0.25	0.12		0.02	0.66	0.02		45.29
8	Bikaner	68.00	0.15	0.10	0.25	0.12		0.02	1.43	0.01		70.08
9	Bundi	39.00	0.12	0.10	0.25	0.12		0.02	0.22	0.02		39.85
10	Chittorgarh	22.00	0.07	0.10	0.25	0.12		0.02	0.11	0.01		22.68
11	Dausa	36.00	0.20	0.10	0.25	0.12		0.02	0.17	0.04	0.13	57.83
12	Dholpur	22.00	0.06	0.10	0.25	0.12		0.02	0.28			22.83
13	Dungarpur	35.00	0.08	0.10	0.25	0.12		0.02	0.17	0.01		35.75
14	Hanumangarh	40.00	0.12	0.10	0.25	0.12		0.02	0.33	0.02	0.10	41.06
15	Jaipur I	50.00	0.13	0.10	0.25	0.12		0.02	0.11	0.01		50.74
16	Jaipur II	38.00	0.10	0.10	0.25	0.12		0.02	0.00	0.01	0.10	38.70
17	Jaisalmer	20.00	0.08	0.10	0.25	0.12	0.04	0.02	1.10			21.71
18	Jalore	31.00	0.10	0.10	0.25	0.12		0.02	0.06	0.01	0.13	31.79
19	Jhalawar	38.00	0.13	0.10	0.25	0.12		0.02	0.55	0.01		39.18
20	Jhunjhunu	33.00	0.09	0.10	0.25	0.12		0.02	0.11			33.69
21	Jodhpur	55.00	0.18	0.10	0.25	0.12		0.02	0.66	0.01		56.34
22	Karauli	43.00	0.11	0.10	0.25	0.12		0.02	0.05	0.02		43.67
23	Kota	64.00	0.12	0.10	0.25	0.12		0.02	0.28			64.89
24	Nagaur	37.00	0.13	0.10	0.25	0.12		0.02	0.06	0.01		37.69
25	Pali	32.00	0.15	0.10	0.25	0.12		0.02	0.44	0.02		33.10
26	Pratapgarh	22.00	0.08	0.10	0.25	0.12		0.02	0.28	0.01		22.86
27	Rajsamand	30.00	0.15	0.10	0.25	0.12		0.02	0.22	0.03	0.15	31.04
28	Ratangarh (Churu)	39.00	0.13	0.10	0.25	0.12		0.02	0.22	0.02		39.86
29	Sawai Madhopur	44.00	0.11	0.10	0.25	0.12		0.02	0.22	0.01	0.10	44.93
30	Shri Ganganagar	34.00	0.13	0.10	0.25	0.12		0.02	0.55	0.01		35.18
31	Sikar	51.00	0.15	0.10	0.25	0.12	1.29	0.02	0.22	0.02	0.08	53.25
32	Sirohi	22.00	0.10	0.10	0.25	0.12		0.02	0.33	0.01		22.93
33	Tonk	40.00	0.12	0.10	0.25	0.12		0.02	0.22	0.02		40.85
34	Udaipur	67.00	0.19	0.10	0.25	0.12		0.02	0.55	0.02	0.20	68.45
	<b>Total (1 to 34)</b>	<b>1350.00</b>	<b>4.15</b>	<b>3.40</b>	<b>8.50</b>	<b>4.08</b>	<b>1.33</b>	<b>0.68</b>	<b>11.00</b>	<b>0.43</b>	<b>1.09</b>	<b>1384.66</b>

  
 Director, Medical & Health Services  
 Rajasthan, Jaipur

Budget Allotment for the year 2010-11

317/28-4-10

2210-Medical & Public Health  
01-Urban Health Services- Allopathy  
104-Central Medical Store  
(01)-Central Medical Store (Non Plan)

(Rs. in Lacs)

S. N.	Name of Office	01 Salary	03 T.A.	04 M.R.	05 O.E.	37 Liv.	89 CPF	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Chief Medical &amp; Health Officer</b>								
1	Ajmer	7.00	0.02	0.01	0.03	0.02	0.00	7.08
2	Alwar	14.00	0.02	0.01	0.03	0.03	0.00	14.09
3	Banswara	6.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	6.07
4	Bharatpur	9.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	9.07
5	Bhilwara	11.00	0.02	0.01	0.03	0.03	0.00	11.09
6	Bikaner	7.00	0.02	0.01	0.03	0.02	0.00	7.08
7	Bundi	6.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	6.07
8	Dholpur	9.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	9.07
9	Dungarpur	9.00	0.02	0.01	0.03	0.02	0.00	9.08
10	Jhalawar	7.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	7.07
11	Jaipur I	9.00	0.02	0.01	0.03	0.03	0.00	9.09
12	Jaipur II	8.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	8.07
13	Jalore	7.00	0.02	0.01	0.03	0.02	0.00	7.08
14	Jodhpur	7.00	0.02	0.01	0.03	0.02	0.00	7.08
15	Kota	10.00	0.02	0.01	0.03		0.00	10.06
16	Nagaur	9.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	9.07
17	Pali	9.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	9.07
18	Pratapgarh	4.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	4.07
19	Ratangarh (Churu)	8.00	0.02	0.01	0.03	0.02	0.00	8.08
20	Sawai Madhopur	8.00	0.02	0.01	0.03	0.02	0.05	8.13
21	Shri Ganganagar	13.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	13.07
22	Sikar	11.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	11.07
23	Sirohi	3.00	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	3.06
24	Tonk	9.00	0.02	0.01	0.03	0.02	0.13	9.21
25	Udaipur	4.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	4.07
26	DDO Head Quarter Jaipur	60.00	0.10	0.20	0.65	0.03	0.00	60.98
	<b>TOTAL</b>	<b>264.00</b>	<b>0.60</b>	<b>0.45</b>	<b>1.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.18</b>	<b>267.03</b>

Financial Officer  
Medical & Health Services  
राजस्थान, जयपुर

## Budget Allotment for the year 2010-11

2210-Medical & Public Health  
01-Urban Health Services- Allopathy  
110-Hospital & Dispensaries  
(03)-Other Hospital&Dispensaries  
[01]-General Hospital (Non Plan)

317/28-4-10


(Rs. in Lacs)																			
S. NO.	Name of Office	01 Salary	02 Wages	03 T.A.	04 M.R.	05 O.E.	09 RRTR	13 Sch. Stipend	18 METP	19 L.W.	20 M.M.V.	22 MS	37 Liv.	41 Cont. Serv.	58 CB	60 DM	61 Diet	89 CPF	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Chief Medical &amp; Health Officer</b>																			
1	Ajmer	80.00		0.20	0.11	0.15				0.55			0.16			0.55		0.10	81.82
2	Alwar	56.00		0.10	0.05	0.10				0.39			0.08			0.28		0.20	57.19
3	Banswara		0.31		0.00					0.00						0.00			0.31
4	Bharatpur	14.00		0.03	0.02					0.00			0.01			0.00			14.06
5	Bhilwara	8.00		0.03	0.02					0.00						0.00			8.05
6	Bikaner	15.00		0.05	0.06	0.05				0.06			0.01			0.11			15.33
7	Bundi	11.00		0.02	0.02					0.00						0.06			11.10
8	Dausa	5.00		0.03	0.02					0.00						0.00			5.05
9	Hanumangarh	58.00		0.06	0.06	0.05				0.00			0.05			0.30		0.50	59.02
10	Jaipur I	98.00		0.11	0.06	0.15				3.0			0.23			0.55		0.40	102.80
11	Jaipur II	59.00		0.11	0.11	0.10				0.17			0.09			0.55			60.13
12	Jhalawar	63.00		0.12	0.11	0.10				0.55			0.13			0.28		0.20	64.49
13	Jhunjhunu	191.00		0.20	0.17	0.10				0.28			0.27			0.55			192.56
14	Jodhpur	80.00		0.10	0.11	0.15				0.06			0.06			0.28			80.75
15	Kota	90.00		0.09	0.06	0.10				0.17						0.55			90.96
16	Nagaur	32.00		0.07	0.04	0.05				0.11			0.05			0.30			32.62
17	Pali	111.00		0.10	0.09	0.10				0.66			0.19			0.55			112.68
18	Ratangarh (Churu)	39.00		0.08	0.05	0.05				0.66			0.07			0.30			40.21
19	Sikar	202.00		0.20	0.16	0.15				0.66	0.15		0.31			0.55			204.18
20	Tonk	207.00		0.25	0.17	0.20				1.10			0.35			0.55		0.10	209.72
21	Udaipur	42.00		0.07	0.05	0.10				0.28	0.15		0.05			0.55			43.24

37/28-4-10

S. NO.	Name of Office	01 Salary	02 Wages	03 T.A.	04 M.R.	05 O.E.	09 RRTR	13 Sch. Stipend	18 METP	19 L.W.	20 M.M.V.	22 MS	37 Liv.	41 Cont. Serv.	58 CB	60 DM	61 Diet	89 CPF	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Principal Medical Officer</b>																		<b>8.80</b>
22	Alwar	1181.00		1.25	1.08	1.25		3.00	0.36	24.20	0.20	0.75	2.16	3.00	1.98	6.60	2.20	0.60	1229.63
23	Banswara	326.00		0.30	0.32	0.50	0.42		0.20	7.70	0.20	0.20	0.59		0.83	1.24	0.83		339.32
24	Baran	326.00	0.03	0.40	0.43	0.50			0.20	7.70	0.20	0.20	0.46	0.50	0.83	2.48	0.00	0.10	340.82
25	Barnat	473.00		0.50	0.43	0.50		2.50	0.20	11.00	0.20	0.20	0.87	0.10	0.83	2.48	0.00		491.80
26	Beawar (Ajmer)	593.00		0.70	0.70	0.75			0.36	22.00	0.20	0.40	0.83		2.06	4.95	4.13	0.50	630.58
27	Bharatpur	1129.00		1.20	1.03	1.00		1.50	0.36	24.20	0.20	0.75	2.33	3.25	1.98	6.60	11.00		1184.40
28	Bhilwara	998.00		1.10	0.97	0.75		1.00	0.36	22.00	0.20	0.50	2.51	2.25	1.98	6.60	5.50	0.20	1063.92
29	Bundi	530.00		0.50	0.59	0.50			0.20	8.00	0.20	0.20	0.84	2.80	0.66	2.48	3.82		584.99
30	Chittorgarh	362.00		0.40	0.38	0.50			0.20	8.00	0.20	0.20	0.51	1.50	0.66	2.48	2.20		380.83
31	Churu	378.00	0.32	0.50	0.48	0.50			0.20	6.60	0.20	0.20	0.44	0.60	0.66	2.48	0.55		391.73
32	Dausa	362.00		0.35	0.32	0.50			0.20	11.00	0.20	0.20	0.59	1.00	0.58	2.48	2.20		381.61
33	Dholpur	446.00		0.45	0.48	0.50			0.20	6.60	0.20	0.20	0.73	0.50	0.58	2.48	0.13		459.74
34	Dungarpur	302.00		0.35	0.32	0.50			0.20	5.50	0.20	0.20	0.69	0.50	0.58	1.24	1.10		313.38
35	Hanumangarh	344.00		0.35	0.32	0.50			0.20	6.60	0.20	0.20	0.38		0.58	2.48	0.83		356.63
36	Jaipur (HBKawantya Hosp.)	564.00		0.50	0.48	0.50			0.20	4.95	0.20	0.20	0.85	0.80	0.66	3.00	0.33		576.68
37	Jaisalmer	231.00		0.35	0.32	0.50			0.20	4.95	0.20	0.20	0.35	2.00	0.66	2.48	0.00		243.21
38	Jalore	362.00		0.40	0.38	0.50		2.00	0.20	4.40	0.20	0.20	0.81	0.50	0.66	2.48	0.55		375.28
39	Jhunjhunu	352.00		0.40	0.38	0.50			0.20	8.25	0.20	0.20	0.44	1.00	0.66	2.48	0.66	0.15	367.52
40	Karauli	473.00		0.60	0.54	0.50			0.20	4.40	0.20	0.20	0.89	1.00	0.66	2.48	0.33	0.90	485.90
41	Nagaur	399.00		0.50	0.48	0.50			0.20	5.50	0.20	0.20	0.59	1.50	0.66	2.48	2.20		414.01
42	Pali	709.00		0.75	0.75	0.75		1.50	0.36	11.00	0.20	0.40	1.06	2.25	2.31	4.95	7.15		742.43
43	Pratapgarh	137.00		0.20	0.16	0.40			0.20	4.40	0.20	0.25	0.19	0.70	0.58	1.65	0.66		146.59
44	Rajsamand	268.00		0.40	0.38	0.50			0.20	6.60	0.20	0.25	0.37		0.66	2.48	1.93		281.96
45	Ratangarh (Churu)	252.00	0.94	0.40	0.38	0.50			0.20	4.40	0.20	0.25	0.37	0.60	0.66	2.48	0.00	0.30	263.68
46	Sawai Madhopur	378.00		0.40	0.38	0.50			0.20	6.60	0.20	0.25	0.55	3.50	0.83	2.48	3.85		397.73
47	Shri Ganganagar	788.00		0.90	0.86	0.75		4.00	0.36	16.50	0.20	0.40	1.33	0.75	2.31	4.95	1.38	0.20	822.89
48	Sikar	872.00		0.90	0.81	0.75		3.00	0.36	13.20	0.20	0.40	1.39		2.31	5.50	0.00	0.20	901.02
49	Sirohi	281.00		0.40	0.38	0.50			0.20	4.40	0.20	0.25	0.47	1.10	0.66	2.48	1.65	0.20	293.89
50	Tonk	378.00		0.40	0.38	0.50			0.20	11.00	0.20	0.25	0.49	0.80	0.66	2.48	2.20		397.56
51	Balotra (Barmer)	221.00		0.25	0.22	0.25			0.10	4.95		0.10	0.29	0.60	0.41	0.83	0.00		229.00
52	Didwana (Nagaur)	181.00		0.25	0.22	0.25			0.10	1.65	0.15	0.10	0.29	0.80	0.26	0.83	0.00	0.25	186.15
53	Kishangarh (Ajmer)	284.00		0.30	0.32	0.25			0.10	6.05		0.10	0.32	3.00	0.50	0.83	0.00		295.76
54	Kotputli (Jaipur)	483.00		0.50	0.48	0.50			0.10	6.05	0.15	0.10	0.78	3.00	0.50	0.83	0.00	0.80	496.78
55	Nathdawara (Rajsamand)	167.00		0.20	0.27	0.25			0.10	3.30		0.10	0.15		0.50	0.83	0.00		172.69
56	Sojat City (Pali)	196.00		0.25	0.27	0.25			0.10	2.75	0.15	0.10	0.33	0.70	0.50	0.83	0.00		202.22
57	Sujangarh (Churu)	163.00		0.22	0.27	0.25			0.10	2.75		0.10	0.25	0.80	0.21	0.83	0.00		168.81
58	Jaipuria Hos, Jaipur	296.00		0.28	0.32	0.40			0.10	4.40	0.20	0.10	0.38	3.50	0.50	1.25	0.00	0.10	307.53
59	Sate. Banipark (Jaipur)	300.00		0.28	0.32	0.40			0.10	1.38	0.15	0.10	0.42		0.25	0.83	0.11	0.10	304.43
60	Sate. Sethi Colony Jaipur	315.00		0.32	0.32	0.40			0.10	2.20	0.15	0.10	0.55		0.25	0.83	0.22		320.43
61	Sate.Hos. Bikaner	233.00		0.25	0.27	0.40			0.10	3.30		0.10	0.15	1.25	0.50	0.83	0.33		240.47

317/28-4-10

S. NO.	Name of Office	01 Salary	02 Wages	03 T.A.	04 M.R.	05 O.E.	09 RRTR	13 Sch. Stipend	18 METP	19 L.W.	20 M.M.V.	22 MS	37 Liv.	41 Cont. Serv.	58 CB	60 DM	61 Diet	89 CPF	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	MO/IC Sate. Hospital								0.00										
62	Mandaur (Jodhpur)	284.00		0.30	0.32	0.25			0.08	1.93	0.15	0.06	0.45		0.25	0.50	0.00	0.10	288.38
63	Pawta (Jodhpur)	163.00		0.15	0.16	0.25			0.08	1.38		0.06	0.21		0.25	0.50	0.00		166.03
64	Sahapura (Bhilwara)	200.00	0.50	0.30	0.32	0.25			0.08	1.10		0.06	0.50		0.25	0.50	0.00		203.85
65	Sate. HiranMagri (Udaipur)	234.00		0.30	0.32	0.25			0.08	2.75		0.06	0.41		0.50	0.50	0.00		239.16
66	Sate. Chandpol (Udaipur)	126.00		0.12	0.16	0.25			0.08	0.55		0.06	0.16		0.25	0.50	0.00		128.12
67	Satelite. Ajmer	116.00		0.10	0.16	0.25			0.08	2.48		0.06	0.14		0.25	0.50	0.00	0.06	120.09
	MO/IC Govt. Hospital								0.00						0.00	0.00			0.00
68	Chabda (Baran)	63.00		0.10	0.08	0.15			0.06	0.83		0.06	0.06		0.17	0.50	0.00		65.02
69	Kethdi (Jhunjhunu)	63.00		0.10	0.08	0.15			0.06	0.17		0.06	0.11		0.17	0.50	0.00		64.39
70	Kuchaman City (Nagaur)	103.00		0.10	0.09	0.15			0.06	0.83		0.06	0.10		0.17	0.50	0.00	0.10	105.15
71	Ladnu (Nagaur)	102.00		0.15	0.16	0.15			0.06	1.37		0.06	0.11		0.17	0.50	0.00		104.72
72	Mandalgarh (Bhilwara)	91.00		0.10	0.16	0.15			0.06	1.38		0.06	0.14		0.17	0.50	0.11		93.82
73	Nasirabad (Ajmer)	236.00		0.25	0.32	0.15			0.06	2.75		0.06	0.31	0.75	0.17	0.50	0.83	0.10	242.24
74	Parvatsar (Nagaur)	79.00		0.11	0.16	0.15			0.06	0.06		0.06	0.13		0.17	0.50	0.00		80.39
75	Phalodi (Jodhpur)	116.00		0.15	0.16	0.15			0.06	1.38		0.06	0.23		0.17	0.50	0.00		118.85
76	Sahapura (Jaipur)	118.00		0.16	0.09	0.15			0.06	0.94		0.06	0.17		0.17	0.50	0.00	0.20	120.48
77	SardarSahar (Churu)	86.00		0.17	0.17	0.15			0.06	1.65		0.06	0.12		0.17	0.50	0.00		89.04
78	Principal&Controler Jodhpur	13.00		0.03	0.02	0.02				0.11			0.02		0.00	0.00	0.00		13.20
79	Supd. AGHS Ajmer	37.00		0.03	0.02	0.03		1.50		0.00			0.10		0.00	0.00	0.00		38.68
80	Bikaner	35.00		0.03	0.02	0.03				0.00					0.00	0.00	0.00		35.08
81	Jaipur	0.00			0.00					0.00					0.00	0.00	0.00		0.00
82	Jodhpur	18.00		0.03	0.02	0.03		1.50		0.00			0.04		0.00	0.00	0.00		19.62
83	Udaipur	0.00			0.00					0.00					0.00	0.00	0.00		0.00
84	Principle Heerabagh Jaipur	26.00		0.03	0.02	0.05				0.00			0.04		0.00	0.00	0.00		26.14
85	DDO Head Quarter Jaipur	210.00		0.30	0.32	1.00				0.00		0.25	0.03		0.00	0.00	0.00	0.30	212.20
	TOTAL	21013.00	2.10	24.08	23.05	26.36	0.42	21.50	9.10	352.69	7.20	10.61	33.71	46.71	37.47	116.09	58.85	6.98	21789.82

  
 Medical & Health Services  
 Bikaner, Rajasthan

Budget Allotment for the year 2010-11

2210-Medical & Public Health  
01-Urban Health Services- Allopathy  
110-Hospital & Dispensaries  
(03)-Other Hospital&Dispensaries  
(03)- T.B. Clinic ( Non Plan)

317/28-4-10

S. N.	Name of Office	(Rs. in Lacs)													
		01 Salary	03 TA	04 M.R.	05 O.E.	18 METP	19 L.W.	20 M.M.V.	22 MS	37 L.v.	58 CB	60 DM	61 Diet	89 CPF	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>M.O./C, T.B. Clinic</b>															
1	Alwar	45.00	0.10	0.15	0.10	0.01	0.30		0.03	0.05	0.02	0.06			45.82
2	Banswara	67.00	0.18	0.15	0.10	0.01	0.40		0.03	0.12	0.02	0.06	0.80		68.87
3	Barmer	23.00	0.25	0.15	0.10	0.01	0.10	0.20	0.03	0.05	0.02	0.06			23.97
4	Beawar (Ajmer)	34.00	0.12	0.12	0.10	0.01	0.20		0.03	0.02	0.02	0.06			34.68
5	Bharatpur	48.00	0.05	0.17	0.10	0.01	0.50		0.03	0.05	0.02	0.06			48.99
6	Bhilwara	70.00	0.12	0.16	0.10	0.01	0.05		0.03	0.10	0.02	0.06	0.50		71.15
7	Bikaner	43.00	0.12	0.09	0.10	0.01	0.30		0.03	0.05	0.02	0.06			43.78
8	Bundi	69.00	0.16	0.15	0.10	0.01	0.50		0.03	0.12	0.02	0.06			70.15
9	Chittorgarh	36.00	0.08	0.07	0.10	0.01	0.10	0.20	0.03	0.05	0.02	0.06			36.72
10	Dausa	25.00	0.10	0.06	0.10	0.01	0.20		0.03	0.05	0.02	0.06			25.63
11	Dholpur	35.00	0.12	0.12	0.10	0.01	0.10		0.03	0.05	0.02	0.06			35.61
12	Dungarpur	30.00	0.15	0.16	0.10	0.01	0.10		0.03	0.05	0.02	0.06			30.68
13	Hanumangarh	20.00	0.03	0.06	0.10	0.01	0.20		0.03	0.05	0.02	0.06			20.56
14	Jaipur	60.00	0.01	0.12	0.10	0.01	0.50		0.03	0.05	0.02	0.06		0.10	61.00
15	Jaipur II	30.00	0.03	0.15	0.05	0.01	0.05		0.05	0.02	0.02	0.06			30.44
16	Jaisalmer	45.00	0.14	0.12	0.10	0.01	0.15		0.03	0.05	0.02	0.06		0.10	45.78
17	Jalore	32.00	0.14	0.16	0.10	0.01	0.15	0.20	0.03	0.05	0.02	0.06			32.92
18	Jhalawar	35.00	0.17	0.16	0.10	0.01	0.10		0.03	0.05	0.02	0.06			35.70
19	Jhunjhunu	36.00	0.02	0.16	0.10	0.01	0.20		0.03	0.05	0.02	0.06			36.65
20	Jodhpur	62.00	0.05	0.15	0.10	0.01	0.45		0.03	0.05	0.02	0.06			62.92
21	Kota	42.00	0.10	0.15	0.10	0.01	0.45	0.20	0.03	0.05	0.02	0.06			43.17
22	Nagaur	36.00	0.14	0.15	0.10	0.01	0.25		0.03	0.06	0.02	0.06			36.82